

उपायुक्त का कार्यालय, सिमडेगा।

(विकास शाखा)

—: इच्छा की अभिव्यक्ति, सूचना संख्या 01/16-17 :-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय) झारखण्ड सरकार, राँची के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सिमडेगा जिलान्तर्गत आवासीय क्रीड़ा केन्द्रों के प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों के भोजनादि की व्यवस्था इच्छा की अभिव्यक्ति के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। जिसके आलोक में जिला अन्तर्गत 4(चार) आवासीय क्रीड़ा केन्द्रों यथा (1) हॉकी बालक, संत मेरी उच्च विद्यालय सिमडेगा (2) हॉकी बालिका, रा0 संपोषित बालिका उच्च विद्यालय, सिमडेगा (3) हॉकी बालिका, संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय, लचडागढ़, सिमडेगा एवं (4) फुटबॉल बालक, एस0एस0 उच्च विद्यालय, सिमडेगा, में प्रति केन्द्र 25(पच्चीस) बच्चों कुल 100(एक सौ) बच्चों के लिए पूरे वर्ष अधिकतम 330 दिनों के लिए भोजनादि की व्यवस्था हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ झारखण्ड राज्य के विभिन्न संचालन संस्था/कैटरर एवं प्रतिष्ठानों से प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है :-

शर्त :-

01. खिलाड़ियों के लिए भोजनादि की व्यवस्था निर्धारित मेनु के अनुसार करना एवं भोजन पकाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना।
02. निर्धारित मेनु के अनुसार प्रत्येक बच्चे के लिए भोजनादि का दर प्रतिदिन 175/- रू0 तक होगा।
03. संचालन संस्था/कैटरर एवं प्रतिष्ठान के पास झारखण्ड राज्य के आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों/आवासीय विद्यालयों में भोजनादि आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए।
04. संचालन संस्था/कैटरर एवं प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में नहीं होने संबंधी शपथ पत्र अनिवार्य है।
05. निविदा/प्रस्ताव के साथ रू0 20,000.00(बीस हजार) मात्र का उपायुक्त, सिमडेगा के पक्ष में भुगतये बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
06. उपरोक्त कार्य के लिए निविदा/प्रस्ताव समर्पित करने वाले संचालन संस्था/कैटरर एवं प्रतिष्ठान निम्न प्रकार से दो बन्द लिफाफा में निविदा/प्रस्ताव जमा करेंगे :-
 - (क) प्रथम लिफाफा में संस्था/व्यक्ति का वार्षिक टर्न ओवर/ आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, एवं Vat स्वच्छता प्रमाणपत्र।
 - (ख) दूसरे लिफाफा में निविदादाता को उपरोक्त सेवाएँ देने के एवज में दैनिक राशि Quote करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्तों/निहित निर्देशों के अनुसार इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान के द्वारा दिनांक 28/10/2016 को 01:00 बजे अपराहन तक उपायुक्त का कार्यालय, विकास शाखा में स्वयं अथवा निबंधित डाक के माध्यम से उपायुक्त, सिमडेगा, विकास शाखा, सिमडेगा समाहरणालय के पते पर निविदा/प्रस्ताव भेज अथवा जमा कर सकते हैं। जिसे दिनांक 28/10/2016 को अपराहन 04:00 बजे समाहरणाल के सभाकक्ष में निविदा समिति के द्वारा निविदा खोली जाएगी, जिसमें आप स्वयं अथवा आपके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्राप्त निविदा/प्रस्ताव संतोषजनक एवं नियमानुसार नहीं पाये जाने की स्थिति में इस निविदा/विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

उपायुक्त,
सिमडेगा

ज्ञापांक—...../वि0 दिनांक—.....

प्रतिलिपि :-जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं निविदा आमंत्रण सूचना की Soft Copy एवं Hard Copy के साथ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-जिला आसूचना पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं निविदा आमंत्रण सूचना की Soft Copy एवं Hard Copy के साथ जिला की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
सिमडेगा